[This question paper contains 6 printed pages.]

Your Roll No. ....

3421

В

## LL.B. V Term

Paper LB-5037: ENVIRONMENTAL LAW

Time: 3 Hours Maximum Marks: 100

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note: Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी : इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt any Five questions.

All questions carry equal marks.

Support your answer with relevant statutory provisions and case law.

किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर लिखिए। **सभी** प्रश्नों के अंक समान हैं।

अपने उत्तरों की पुष्टि सुसंगत कानूनी उपबन्धों तथा

निर्णय विधि से कीजिए।

 Explaining the need for National Green Tribunal Act, 2010 critically describe its Jurisdiction and Powers. नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल एक्ट, 2010 की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए इसकी अधिकारिता और शक्तियों का वर्णन कीजिए।

 "We have to evolve new principles and lay down new norms which would adequately deal with the new problems which arise in a highly industrialized economy." M.C. Mehta Vs. UOI, AIR 1987 SC 1086.

Which new principle has been evolved by Supreme Court in the above mentioned case? Elucidate.

"हमको नए सिद्धान्तों को विकसित करना और नए सिन्नियमों को अधिकथित करना होगा जो उच्च रूप में औद्योगीकृत अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने वाली नई समस्याओं का यथेष्ट रूप में निपटान कर सकेंगे।" (एम. सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1086)

उपर्युक्त केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन-से नए सिद्धान्त विकसित किये गये हैं? विशद व्याख्या कीजिए।

3. "Although there are existing laws dealing directly or indirectly with environmental matters, it was felt necessary to have a general legislation for environmental protection."

Outline the reasons which necessitated the enactment of Environment Protection Act, 1986. Also discuss the powers of the 'Central Government to protect and improve the environment'.

''यद्यपि पर्यावरणीय मामलों का प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में निपटान करने वाली विधियाँ मौजूद हैं, तथापि पर्यावरणीय संरक्षण हेतु एक सामान्य विधान की जरूरत महसूस हुई थी।''

उन कारणों का उल्लेख कीजिए, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधिनियम की जरूरत महसूस कराई। पर्यावरण को संरक्षित करने तथा सुधारने हेतु केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का भी विवेचन कीजिए।

4. A.P. Pollution Control Board made a complaint to the Metropolitan Magistrate u/s 33 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, restraining the Nayudu Bottling Co. Pvt. Ltd. from causing pollution by discharging trade effluent. It was stated in the complaint that the company has not put up any treatment plant and a sample of the trade effluent was lifted which, on analysis, has been found as not conforming to the parameters of the correct order of the company. The company contended tat the sample was not divided into two parts as revired by Section 21 of the Act, hence it is not admisible in law.

The Boaron the other hand contended that Section 21 does not come into operation for lifting of a sample for the pose of getting an order u/s 33 of the Act. Decide.

आन्ध्र प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने व्यापार बहिस्राव बहाकर प्रदूषण कारित करने से नायडू बॉटलिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को अवरुद्ध करने के लिए जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 के अन्तर्गत मेट्रोपोलिटन मिजस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करायी। शिकायत में कहा गया था कि कम्पनी ने कोई अभिक्रिया संयंत्र नहीं लगाया है तथा व्यापार बहिस्राव का नमूना उठाकर उसका विश्लेषण करने पर उसे कम्पनी के आदेश के मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। कम्पनी ने प्रतिवाद किया कि नमूने को दो भागों में नहीं बाँटा गया था जैसा कि अधिनियम की धारा 21 द्वारा अपेक्षित है, अतः कानून में यह स्वीकार्य नहीं है।

दूसरी ओर बोर्ड ने प्रतिवाद किया कि अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत आदेश प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु नमूना उठाने के लिए धारा 21 लागू नहीं होती है। विनिश्च्य कीजिए।

- 5. "States must ensure that activities within their jurisdictional and control do not result in environmental damage to other states." Discuss in the light of varios developments in international environmental law.
  - ''राज्यों के लिए यह सुनिश्चित करना रूरी है कि उनकी अधिकारिता तथा नियन्त्रण के अन्तर्गत कार्यकारों के परिणामस्वरूप अन्य राज्यों को पर्यावरणीय नुकसान नहीं पहता है।'' अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय विधि के तहत विभिन्न घटनान्न को ध्यान में रखते हुए विवेचन कीजिए।

- 6. (i) Discuss whether citizens have duty to protect and improve the environment under Constitution of India?
  - (ii) Explain the concept of Probono Publico with reference to locus standi in environmental public interest litigation.
  - (i) विवेचन कीजिए कि क्या भारत के संविधान के अन्तर्गत पर्यावरण को संरक्षण देना तथा सुधारना नागरिकों का कर्त्तव्य है?
  - (ii) पर्यावरणीय लोक हित मुकदमे में सुने जाने के अधिकार के सन्दर्भ में लोक हित में की संकल्पना की व्याख्या कीजिए।
- In the light of Indian Council for Enviro-legal Vs. UOI, AIR 1990 SC 1416, discuss the statutory provisions, principles of law and various directions given by Supreme Court to provide relief to the Bichhoi villagers.

इण्डियन काउंसिल फॉर एनवायरो-लीगल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 1416 को ध्यान में रखते हुए कानूनी उपबन्धों, विधि के सिद्धान्तों तथा बिछोई के ग्रामवासियों को राहत प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्देशों का विवेचन कीजिए।

- 8. Write short notes on any two:
  - (i) Inter-generational and Intra-generational equity,
  - (ii) Environment Impret Assessment,
  - (iii) Duty of the State to protect the environment under Constitution of India.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (i) अन्तरपीढ़ीय और अन्त:पीढ़ीय साम्या,
- (ii) पर्यावरण समाघात निर्धारण,
- (iii) भारत के संविधान के तहत पर्यावरण संरक्षित करने हेतु राज्य का कर्त्तव्य।